446

# मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 (वैशाख 4, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 38 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनरेश त्रिपाठी, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री धरमू राय, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में विद्युत लाइन से फसलों में आग लगने से हुई क्षति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योंथर), बच्चन नायक, सदस्य, रीवा शहर की चिरहुला कालोनी में दूषित पेयजल का प्रदाय होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुरेश राय, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई कृषि प्रक्षेत्र के परियोजना अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री गोविन्द मिश्रा, गोपीकृष्ण नेमा, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, सीधी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक-एक में पुल पथकर घोष विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम महुआखेड़ा खुर्द में तेजाब से जलाये जाने की घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, राज्य वस्त्र निगम द्वारा बुनकरों को वित्तीय व वस्त्र खरीदी की सुविधा न दिये जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम बम्हनी में जीवनधारा योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम पटलावदा में चेचक से बच्चों की हुई मौत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, रायपुर जिले की महानदी जलाशय परियोजना के रुद्री बांध में डूबान भूमि के आबंटन में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के माचलपुर कस्बे में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम बेल्दी में अनुसूचित जाति के परिवारों के मकान जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-